बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 291

संविधान सर्वोपरि

सन 1950 में 26 जनवरी को भारत को अपना संविधान मिला जो विश्व के सर्वाधिक संपूर्ण, आधुनिक और उदार संविधानों में से एक है। सत्तर वर्ष बाद देश को न केवल उस स्मृति का जश्न मनाना चाहिए बल्कि स्वयं को एक बार फिर संविधान के सिद्धांतों के प्रति शाब्दिक और भावनात्मक स्तर पर समर्पित करना चाहिए। एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत का अस्तित्व, एक देश के रूप में उसका विकास और गत सात दशक में एक अर्थव्यवस्था के रूप में उसकी प्रगति में यह तथ्य भी शामिल है कि देश का संविधान व्यापक विवेचना से उभरा और इसकी संस्थापक पीढ़ी ने संविधान के तौर तरीकों और सिद्धांतों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई।

इसमें बहुत कम संदेह है कि बीते सात दशक में ऐसे भी अवसर आए जब देश की उदारवादी बुनियाद पर हमले हुए। आपातकाल की घोषणा ऐसा ही एक अवसर था। इस बात को लेकर चिंतित होने की पर्याप्त वजह है कि भारत एक बार फिर वैसे ही दौर से गुजर रहा है। भले ही यह सन 1970 के दशक की तरह स्पष्ट नहीं है। द इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) हर वर्ष लोकतंत्र सूचकांक जारी करती है। यह सूचकांक दर्शाता है कि विभिन्न देश लोकतांत्रिक संस्थानों और उनसे जुड़े अनुभव के मामले में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत एक वर्ष में 10 स्थान नीचे लुढ़क गया और वर्ष 2018 के 41वें स्थान से 2019 में 51वें स्थान पर आ गया। ईआईयू ने कहा कि देश के इस सूचकांक में पिछड़ने की प्रमुख वजह यहां नागरिकों को मिलने वाली आजादी में आई कमी है। उसने असम में राष्ट्रीय नागरिक न पंजी लागू करने, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता और पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और नए नागरिकता संशोधन अधिनियम को इसका कारण बताया।

हालांकि ऐसे सूचकांकों पर 100 प्रतिशत यकीन नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इस सूचकांक में भारत की स्थिति में गिरावट व्यापक साझा चिंताओं को प्रदर्शित करती है। इस बात की जांच करने का वक्त आ गया है कि देश के मूल संवैधानिक सिद्धांतों को कैसे एक बार पुन: उनकी जगह दिलाई जा सकती है। तमाम मोर्चों पर हम संविधान के लिखे और उसकी आत्मा में निहित धारणाओं का पालन करने में नाकाम रहे हैं। यह न केवल धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्य को चुनौती है बल्कि ऐसे सवाल भी हैं कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार सुरक्षित रहेंगे और एक नए युग में उनका उन्नयन होगा या नहीं। कोई संविधान स्थिर नहीं होता और वह समय के साथ बदलता है लेकिन भारतीय संविधान की उदार बुनियाद बनी रहनी चाहिए। जिन संस्थानों पर इस बुनियाद को बचाने का दायित्व है उन्हें अपनी स्वायत्तता को लेकर सचेत रहना चाहिए और बुनियादी संवैधानिक सिद्धांतों के बचाव के लिए मुस्तैद रहना चाहिए।

ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकतंत्र में जहां राजनीतिक बदलाव और नए विचारों का आदर होना चाहिए, वहीं उसे संवैधानिक सिद्धांतों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। ऐसे सिद्धांतों के बल पर ही किसी राज्य में निरंतरता आती है। यह न केवल लोगों को अवसर उपलब्ध कराता है बल्कि ऐसी सुरक्षा भी देता है जिसके बिना निवेश और वृद्धि असंभव है। हां, बदलाव होना चाहिए: निजता का मान रखा जाना चाहिए, अभिव्यक्ति पर उपनिवेशकालीन प्रतिबंध और सुरक्षा बलों की अत्यधिक शक्तियां समाप्त होनी चाहिए और संपत्ति के अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए। परंतु यह सब उस संविधान के दायरे में रहकर हो सकता है जो सात दशक पहले लिखा गया और जिस पर उस दौर में पूरी बहस हुई और बाद में भी होती रही। राजनीतिक वर्ग संविधान को लेकर जुबानी जमाखर्च से काम चलाता रहा है, जबकि उसे हकीकत में उसका पालन करना चाहिए।

अजय मोहंती

आम बजट से क्या है निवेशकों की उम्मीद

आगामी बजट में इस बात की असली परीक्षा होगी कि केंद्र सरकार सुधारों को लेकर किस कदर गंभीर है। इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं **आकाश प्रकाश**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संभवत: इस सरकार का अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण बजट पेश करेंगी। निवेशक बहुत बारीकी से बजट भाषण और बजट दस्तावेज को देखेंगे कि क्या मंदी से निपटने और उससे आगे की राह का कोई संकेत मिलता है। निवेशक एक सुसंगत आर्थिक योजना देखने को उत्सुक हैं।

वैश्विक निवेशक इस बात पर सहमत हैं कि कारोबारी माहौल में सुधार के गंभीर प्रयास का वक्त आ गया है। अगर अभी बड़े सुधार के प्रयास नहीं दिखे तो आर्थिक कमजोरी के कारण भारी बहुमत होते हुए भी भविष्य में कुछ महत्त्वपूर्ण नहीं हो पाएगा।

कुछ बातें स्पष्ट हैं। राजकोषीय फिसलन काफी होगी। अधिकांश निवेशकों को उम्मीद है कि राजकोषीय फिसलन 3.3 फीसदी के तय लक्ष्य की जगह जीडीपी के 3.7 से 3.8 फीसदी तक रहेगी। कम नॉमिनल जीडीपी के कारण 11 आधार अंकों की कमी आई और यह 3.3 फीसदी से बढ़कर 3.41 फीसदी हुआ। हालात को देखते हुए इस पर 30 से 40 आधार अंकों की फिसलन सहज स्वीकार्य होगी।

निवेशक चाहेंगे कि इस राजकोषीय गुंजाइश का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए हो। हालांकि उन्हें उम्मीद होगी कि आगे चलकर यह पटरी पर आ जाएगा और वे 2021 के लिए 3.3 से 3.5 फीसदी के लक्ष्य की अपेक्षा करेंगे। निकट भविष्य में किसी को इसके 3 फीसदी रहने की उम्मीद नहीं है।

राजकोषीय मोर्चे पर सीमित गुंजाइश और मौद्रिक नीति की बाधाओं को देखते हुए अब वास्तविक सुधारों का वक्त आ गया है। वित्त मंत्री अगर क्षेत्रवार तरीके से आगे बढ़ें और निवेश और निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव करें तो बेहतर होगा।

वैश्विक निवेशकों के लिए इक्विटी पर दीर्घावधि का पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर एक अहम बात हो सकता है। एलटीसीजी से ज्यादा राजस्व नहीं मिला है और प्रशासनिक रूप से इसने वैश्विक फंडों के लिए कठिनाई पैदा की है। लंबी अवधि के कई निवेशक (एंडोवमेंट, सॉवरिन वेल्थ और फाउंडेशन) अपने गृह क्षेत्र में कोई कर नहीं चुकाते और भारत में कर चुकाना उन्हें अलग-थलग करना लगता है।

पूंजीगत लाभ कर को पूरी तरह खत्म करना व्यवहार्य नहीं होगा लेकिन कम से कम दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ को रियायत दी जा सकती है। इससे भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश पर अनुमानित कर पश्चात प्रतिफल बढ़ेगा और कंपनियों के लिए पूंजी की लागत कम होगी। इक्विटी के लिए इसकी भरपाई प्रतिभूति लेनदेन कर में मामूली इजाफा करके की जा सकती है। इससे वैश्विक पूंजी प्रदाताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा।

बजट में एक और कदम पुराने वाहनों को खत्म करने की योजना को फंड करने का होना चाहिए। 15 साल से पुराने किसी भी वाणिज्यिक वाहन को कबाड़ में बेचने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इससे करदाताओं पर 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि वाहन उद्योग को काफी गति मिलेगी। प्रदूषण में काफी कमी आएगी और वाणिज्यिक वाहनों की ईंधन किफायत सुधरेगी। यह सबके लिए लाभप्रद होगा।

वाहन उद्योग बहुत बड़ा रोजगार प्रदाता है और यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। फिलहाल इस उद्योग की हालत खस्ता है और कबाड़ संबंधी योजना इसकी बहुत मदद करेगी। ऐसी योजनाओं को दुनिया भर में सराहना मिलती रही है। खासतौर पर वित्तीय संकट के दौर में ये कारगर साबित हुई हैं। भारत भी इसे अपना सकता है। पैसे की कमी इकलौती बाधा हो सकती है लेकिन इसे अपनाया जाना चाहिए।

स्टार्टअप को लेकर सरकार के रुख पर भी नजर रखनी होगी। हमारे पास स्टार्टअप को लेकर अच्छी योजना और धनराशि है। सरकार ने स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए काफी कुछ किया है। उसने उनकी महत्ता को पहचाना है। उन्हें यह इजाजत होनी चाहिए कि वे 15 वर्ष तक नुकसान वहन कर सकें। फिलहाल यह इजाजत आठ वर्ष तक की है। काफी संभव है कि मुनाफा कमाने के पहले वे लंबे समय तक नुकसान में रहें। अगर उन्हें घाटे को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाती है तो नकदी प्रवाह और शुद्ध मार्जिन में सुधार होगा। स्टार्टअप को कंपनी अधिनियम की धारा 42 से निजात भी दी जा सकती है। जबकि चुनिंदा परिस्थितियों में इन स्टार्टअप को डीम्ड सरकारी कंपनी भी माना जा सकता है।

बीते कुछ वर्ष के दौरान निर्यात के मोर्चे पर काफी निराशा हाथ लगी है। घरेलू मांग में सुधार के बीच निर्यात वैश्विक मांग से लाभान्वित होने का बेहतर जरिया होगा। इसका असर निवेश पर भी पड़ेगा। व्यापक प्रोत्साहन पैकेज और नीतियां निवेश प्रतिस्पर्धा में सुधार कर सकती हैं।

दूरसंचार और बिजली क्षेत्र की बात करें तो हमें उद्योग आधारित हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। दूरसंचार में सरकार को बीच का रास्ता तलाश करना होगा और उद्योग जगत को इस समायोजित सकल राजस्व की समस्या से निजात दिलानी होगी।

बिजली क्षेत्र में सरकारी बिजली बोर्ड दिवालिया हैं। उदय योजना नाकाम साबित हुई है। कोई भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में क्यों निवेश करेगा जहां प्रमुख प्रतिपक्ष ही दिवालिया हो। राज्य बिजली बोर्ड पर निजी बिजली कंपनियों का बकाया बढ़कर 46,000 करोड़ रुपये हो चुका है।

प्रत्यक्ष कर की बात करें तो उम्मीद है कि दरों में कटौती देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ रियायतों को तार्किक बनाने और दरों को आंशिक रूप से संतुलित किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है।

विनिवेश के मोर्चे पर 2020 के लक्ष्य हासिल नहीं होंगे लेकिन 2021 में बीपीसीएल, कॉनकॉर और एयर इंडिया की मदद से बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके बाद सरकार को टाटा कम्युनिकेशंस और हिंदुस्तान जिंक तथा अन्य कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचनी चाहिए। इन दोनों कंपनियों के रोजमर्रा के काम में सरकार शामिल ही नहीं है तो हिस्सेदारी रखने का क्या लाभ?

सरकार को अन्य सरकारी उपक्रमों की सूची बनाकर देखना चाहिए कि उनसे कितनी राशि हासिल की जा सकती है। एनएमडीसी इसका स्पष्ट उदाहरण है। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज लिमिटेड एक और उदाहरण है। उसके पास हजारों करोड़ की जमीन है और इसका मुद्रीकरण होना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे मूल्यवान सरकारी संपत्ति है। उसने निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को भी बहुत अच्छी तरह संभाला। क्या सरकार एलआईसी को सूची में शामिल करेगी? एलआईसी के मामले में सरकार को नियंत्रण अपने पास रखकर आंशिक हिस्सेदारी बेचनी चाहिए।

बजट में कई अन्य क्षेत्रवार घोषणाएं की जा सकती हैं। अचल संपत्ति और एनबीएफसी पर ध्यान दिया जा सकता है। बजट ऐसा होना चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था में भरोसा बहाल करे और निवेशकों तथा देश के उद्यमी जगत को आश्वस्त करे। उन्हें भरोसा हो जाना चाहिए कि सुधार सरकार की प्राथमिकता में हैं।

क्या भारतीय कंपनियों के बोर्ड वाकई में असरदार हैं?

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

अगर भारतीय कारोबारों के लिए वर्ष 2020 में सबसे जरूरी नियामकीय सुधार पर गौर करना है तो वह कंपनियों के निदेशक मंडल की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए एक ढांचा खड़ा करना है। हमें खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या भारतीय कंपनियों के बोर्ड वाकई में असरदार हैं?

नया साल बोर्ड नियमन के क्षेत्र में एक बहाने के साथ शुरू हुआ है। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) पदों पर एक ही शख्स के बैठने पर रोक लगाने वाले प्रावधान की समयसीमा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दो साल के लिए बढ़ा दी है।

कंपनी बोर्ड के ढांचे की सफाई करने से जुड़ा यह एक और उपाय है। जहां हमारा नियामकीय ढांचा इस बारे में बहुत साफ है कि एक बोर्ड को कैसा दिखना चाहिए और उसमें कौन लोग शामिल होने चाहिए। कंपनी बोर्ड के पर्यवेक्षण एवं संचालन का असर कानून में शायद ही परखा जाता है।

इस दिशा में उठाए जा रहे अधिकांश कदम वे हैं जो एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सक्रिय नियामक उठाते। पिछले दशक में सेबी और कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के बीच जारी नियामकीय जंग का नतीजा परस्पर विरोधाभासी एवं अतिव्यापी प्रावधानों के तौर पर सामने आया है। सूचीबद्धता के नियमों और कंपनी कानून में इन्हें लागू किया गया है। यह प्रारूप मोटे तौर पर बोर्ड संयोजन, स्वतंत्र निदेशकों की अवधारणा, निदेशक बनने की योग्यता और कंपनी संचालन की गुणवत्ता से सीधे तौर पर न जुड़ा होते हुए भी सामाजिक प्रतिनिधित्व को रेखांकित करने वाले बिंदुओं के इर्दगिर्द घूमता है।

कंपनी बोर्ड संचालन के प्रति इस तरह के रवैये का नतीजा बोर्ड संरचना पर बारीक नजर के तौर पर सामने आया है। इसका मतलब है कि बोर्ड की असरकारिता पर समान अहमियत दिए बगैर उसके ढांचे पर जोर होता है। इससे पहले कभी भी कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) का पद इतनी गहन समीक्षा एवं नियामकीय निशाने पर नहीं रहा है। जहां मीडिया की तवज्जो और उसके हिसाब से नियामकीय नजर किसी खास सीईओ पर होती है वहीं समस्या के केंद्र में कंपनी बोर्ड की नाकामी और सामूहिक पर्यवेक्षण एवं निगरानी के एक मंच के तौर पर उसका निष्प्रभावी प्रदर्शन है।

एक व्यक्ति के तौर पर हम भारतीय एक ताकतवर सीईओ से किसी नायक जैसे नेतृत्व को पसंद करते हैं। सीईओ को एक कंपनी के अधिष्ठाता देवता या सीजर की तरह देखा जाता है। जब हालात अच्छे होते हैं तो सीजर को अवतार मान लिया जाता है जबकि हालात खराब होने पर उसे शैतान भी बना दिया जाता है। सीजर पर निगरानी रखने का दायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का होता है जिससे संसद की तरह नियंत्रण एवं संतुलन की अपेक्षा रहती है और उसे समय-समय पर परामर्शदाता की भूमिका भी निभानी होती है। लेकिन एकल नायकों के लिए चाहत रखने वाले हमारे समाज में इस सामूहिक नेतृत्व को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है।

इसी तरह सीईओ का दायित्व निभा रहे प्रबंधकों को भी आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है। अमूमन बोर्ड के सदस्य वही होते हैं जिनके साथ सीईओ सहज होते हैं। भारतीय परिवेश में आंशिक स्वामित्व और सीईओ का पद एक व्यक्ति के पास होने के संभावना अधिक होने से यह बात और भी साफ होती है। लेकिन जिस कंपनी में सीईओ की स्वामित्व हिस्सेदारी नहीं होती है वहां भी शेयरधारकों के समक्ष निदेशक पद के लिए उन्हीं उम्मीदवारों के नाम रखे जाते हैं जिनके साथ प्रबंधन सहज महसूस करता है। निदेशक पद के लिए नाम सुझाने का दायित्व कायदे से एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के पास होता है लेकिन उसके सदस्यों में खुद को ही चुनने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

असफल या कलंकित होने वाले तमाम सीईओ में एक बात समान है कि वह सीईओ समय के साथ बेहद ताकतवर होते चले गए और निदेशक मंडल उन पर कारगर लगाम एवं निगरानी नहीं रख पाए। फिर भी सीईओ के मुश्किल में फंसने पर निदेशकमंडल के लिए उसके पीछे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब विरोध में खड़ा होने वाला पक्ष नियामक होता है।

सीईओ को जवाबदेह ठहरा पाने में नाकाम बोर्ड अक्सर हमले से घिरे सीईओ के बचाव में भी आगे नहीं आ पाता है। किसी भी सूरत में कंपनी बोर्ड के पास एक प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने वाला ढांचा नहीं होता है जो बेहतर नतीजे दिला सके। असल में, कंपनियों के बोर्ड को पूरी तरह मनमाने और खराब फैसलों की पीड़ा का अहसास ही नहीं है और वो प्रबंधन या मालिक या फिर दोनों को ही अपना समर्थन देकर खुश होते हैं।

दुखद है कि नियामक का रुख निदेशकों के लिए कंपनी संचालन से संबंधित परीक्षा में पास होने की शर्त के तौर पर सामने आ रहा है। हमें आश्वस्त होना चाहिए कि हाल में सीईओ को ठीक से नहीं संभाल पाने वाली हरेक कंपनी का हरेक निदेशक ऐसी परीक्षाएं काफी आसानी से पास कर लेगा।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों और उसके गवर्नरों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय का प्रावधान रखा गया था। लेकिन कानून लागू होने के आधे दशक बाद भी यह पूरी तरह नदारद है। इससे भी बुरा यह है कि समाज के भीतर कंपनी कानून के बारे में जानकारी एवं अपेक्षाएं इतनी कम हैं कि तमाम लोग नियंत्रण एवं संतुलन की कड़ी परीक्षा से काफी खुश हैं ताकि जवाबदेही बढ़ाई जा सके। कंपनी बोर्ड की असरकारिता का मसला मुकदमेबाजी एवं संबद्ध न्याय-क्षेत्र से ही हल किया जा सकता है। तब तक हम कानून में फेरबदल कर सकते हैं लेकिन उसके मामूली असर ही होंगे।

(लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

कानाफूसी

सिद्धू की वापसी

अपनी जोरदार वाक कला के लिए मशहूर और क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर वापसी करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से सार्वजनिक मंचों से नदारद नजर आ रहे सिद्धू को दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक का दर्जा दिया है। इस सूची में उनका नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मनमोहन सिंह जैसे दिग्गजों के साथ शामिल किया गया है। गत वर्ष जुलाई में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मतभेद होने के बाद सिद्धू ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही वे राजनीतिक गुमनामी से गुजर रहे थे। गत वर्ष हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उन्हें प्रचार में शामिल नहीं किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनकी दोस्ती भी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई थी। अमरिंदर सिंह ने शिकायत की थी कि सिद्धू ने पाकिस्तान में खान के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के पहले उनकी इजाजत नहीं ली थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से सिद्धू के गले मिलने की तस्वीरें भी उस वक्त पार्टी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी थीं।

नवजोत सिंह सिद्धू

आपका पक्ष

विरोध प्रदर्शन और जनता का नुकसान

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने पिछले एक माह से अधिक समय से सड़क बंद कर रखी है। इस वजह से दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाली कालिंदी कुंज सड़क बंद है। इससे दिल्ली से नोएडा आने में लोगों को अतिरिक्त दो घंटे का समय लग रहा है। वाहनों से बड़ी संख्या के कारण आश्रम और डीएनडी में घंटों जाम लग रहा है। इस वजह से लोगों को तीन घंटे से अधिक समय लग रहा है। एक निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वह सड़क बंद होने के कारण रोजाना विलंब से कार्यालय पहुंच रहा था। तीन घंटे कार्यालय पहुंचने में और तीन घंटे घर लौटने तथा आठ घंटे की नौकरी से 14 घंटे से अधिक लग रहा था। एक माह में आधा वेतन मिलने और सड़क बंद होने से अधिक किराया लगना उस कर्मचारी की नौकरी छोड़ने की वजह बनी। लोगों ने अदालत से सड़क खाली करने की गुहार लगाई जिसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को सड़क खाली कराने का आदेश दिया। इसके बावजूद आज तक सड़क खाली नहीं हो सकी। सड़क बंद से आम लोगों को परेशानी के साथ और भी नुकसान हो रहा है। जाम के कारण पेट्रोल-डीजल अधिक खर्च हो रहा है। इसके अधिक जलने से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बहरहाल लोगों का विरोध प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन क्या अपने अधिकार के लिए दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन करना उचित है? अत: विरोध प्रदर्शन के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए जिससे अन्य लोगों को परेशानी नहीं हो तथा उनके अधिकारों तथा हितों की रक्षा हो सके। इससे देश को होने वाले बेवजह नुकसान से बचाया जा सके।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के विरोध में पिछले एक माह से महिलाएं सड़क पर बैठी हैं

देश में और भी समस्याएं हैं

मोदी सरकार ने अपनी पहली और दूसरी पारी में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए तथा आगे भी शायद और फैसले लें। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक पर कानून, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाना, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी जैसे फैसले मोदी सरकार ने किए। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, उद्योग-धंधे और व्यापार को सुधारने की तरफ कोई खास रुचि नहीं दिखाई। इससे देश में बेरोजगारी के बढ़ने और देश की आर्थिक सुस्ती के निराशाजनक आंकड़े सामने आए। उच्चतम न्यायालय ने सीएए पर रोक लगाने से अभी फिलहाल मना कर दिया है। इस मुद्दे को जितना उछाला जाएगा, यह उतना उलझता जाएगा। देश में पिछले कुछ महीनों से प्याज और अन्य सब्जियों तथा अन्य खाने पीने वस्तुओं की कीमतें आसमान पर हैं। इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना मीडिया की जिम्मेदारी है। एक-दो महीने पहले राजस्थान के एक अस्पताल में सैड़कों बच्चों ने दम तोड़ दिया इस पर भी मीडिया में काफी देर से दिलचस्पी दिखाई।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।